



दिनांक 27.08.2024

प्रेस विज्ञप्ति 36 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मेरठ/थाना खरखौदा

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 27.08.2024 को थाना खरखौदा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहिदीनपुर रोड से मीरपुर जाने वाले रास्ते के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1-परवेज सहित अभियुक्त 2-अखलाक उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त परवेज शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मेरठ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खरखौदा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-परवेज निवासी फिरोज नगर थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

2-अखलाक उर्फ गुल्लू निवासी पिल्लोखड़ी श्यामनगर थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2-02 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 27.08.2024 को थाना कोतवाली नगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरटीओ आफिस के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजीव उर्फ लोधेश्वर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानों पर आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राजीव उर्फ लोधेश्वर निवासी भगीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस जंक्शन

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.08.2024 को थाना हाथरस जंक्शन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धौरपुर रेलवे प्लार्ड ओवर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वजीर उर्फ वजीरा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वजीर उर्फ वजीरा निवासी आईटीआई कॉलेज के पास थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

जनपद रामपुर/थाना पटवाई

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.08.2024 को थाना पटवाई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मदारपुर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त पृथी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पटवाई पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पृथी निवासी ग्राम जादोपुर थाना शहजादनगर जनपद रामपुर।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

• लूट/चोरी की घटना का अनावरण

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- 20 हजार रुपये नगद
- भारी मात्रा में तांबे व कॉपर की पत्ती व तार
 - 01 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार आदि बरामद

दिनांक 27.08.2024 को थाना पिलखुवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छिजारसी-परतापुर के पास से 04 अभियुक्तों 1—शानू

2-प्यार मोहम्मद 3-ताहिर 4-सुमित को गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 हजार रुपये नगद, भारी मात्रा में तांबे व कॉपर की पत्ती व तार, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट/चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-शानू निवासी पठान कोट कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-प्यार मोहम्मद निवासी दसबीसा थाना बेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- 3-ताहिर निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।
- 4-सुमित निवासी ग्राम मुजैकीपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

- 1-20 हजार रुपये नगद।
- 2-भारी मात्रा में तांबे व कॉपर की पत्ती व तार।
- 3-01 मोबाइल फोन।
- 4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।
- 5-घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार आदि।

जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूटी गयी 02 सोने के चैन
 - 01 मोटर साइकिल

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 27.08.2024 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैदपुर बाग तिराहा पर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कृष्णा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी 02 सोने के चैन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बरेली के थाना इज्जतनगर पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-कृष्णा निवासी छोटी विहार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

बरामदगी

1-लूटी गयी 02 सोने के चैन।

2-01 मोटर साइकिल।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शामली/थाना गढीपुख्ता

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
 - चोरी की घटना का अनावरण
- चोरी की 02 लाइसेन्सी डबल बैरल बन्दूक 12 बोर मय 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस
 - चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक: 26.08.2024 की रात्रि थाना गढीपुख्ता हथछोया से तीतरो मार्ग की तरफ रजवाहा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में

अभियुक्त जैद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 लाइसेन्सी डबल बैरल बन्दूक 12 बोर मय 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस, चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बन्दूक उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद शामली के थाना गढीपुख्ता पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जैद निवासी गढी अब्दुल्ला थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी

1—चोरी की 02 लाइसेन्सी डबल बैरल बन्दूक 12 बोर मय 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2—चोरी के 02 मोबाइल फोन।

जनपद बिजनौर/थाना नहतौर

● पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● 01 मोबाइल फोन

● नगद रूपये

■ 01 मोटर साइकिल

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 27.08.2024 को थाना नहतौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बेगराजपुर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर, उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अमन निवासी ग्राम उमरपुर आशा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1-01 मोबाइल फोन।

2-नगद रूपये।

3-01 मोटर साइकिल।

4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अदनान को आजीवन कारावास व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सीतापुर/थाना इमलिया सुल्तानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 62 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना इमलिया सुल्तानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामकिशोर को आजीवन कारावास व 62 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बहराइच/थाना सुजौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना सुजौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्याम सुन्दर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद गोरखपुर/थाना गगहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गगहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
